HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 2252/2026
CNR: RJHC020079502026 | URN: CW / 4857U / 2026

Sushil Kumar Gupta S/o Laxminarayan Gupta R/o 89, Dadwada, Behind Natraj Cinema, Kota, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kota.
2. Mr. Juzar Abbas S/o Tajammul Hussein, Director, M/s M.H. Bohra Enterprises Pvt. Ltd. resident of Near Natraaj Cinema, Station Main Road, Kota.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Agrawal
For Respondent(s)	:	Mr. Abhishek Bhardwaj with Mr. Aayush Malik

---

HON'BLE MR. JUSTICE ANAND SHARMA

Order

29/07/2026

1. At the outset, learned counsel for respondent No.2 raised a preliminary objection that by making a similar prayer, earlier the petitioner filed a Civil Suit No.274/2020 before the Court of Civil Judge, North Kota, Rajasthan, wherein following prayer has been made:

> *"अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे किः–*
> *(1) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह मेन स्टेशन रोड नटराज टाकिज के पास, भीमगंजमण्डी कोटा–राज0 अपने परिसर ऑल सीजन के बाहर पुनः रैम्प, सीढियां बनाकर नाले पर अतिक्रमण करने, ग्रेनाईट लगाने, सरकारी रोड पर पार्किंग स्थापित करने का अवैधानिक कृत्य नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे रोड पर अतिक्रमण हो अथवा रोड को सकरा करने का प्रयास भी नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।*
> *(2) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह मेन स्टेशन रोड नटराज टाकिज के पास, भीमगंजमण्डी कोटा–राज0 अपने परिसर ऑल सीजन के बाहर पुनः रैम्प, सीढियां बनाकर नाले पर अतिक्रमण करने, ग्रेनाईट लगाने,*

सरकारी रोड पर पार्किंग स्थापित करने का अवैधानिक कृत्य नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे रोड पर अतिक्रमण हो अथवा रोड को सकरा करे यदि ऐसा किया जाता है तो उसे ध्वस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये बॉयलॉज नियमों के विरूद्ध किये गये संपूर्ण निर्माण/बिल्डिंग को ध्वस्त कर हटाया जावे इस हेतु 400/– रूपये के मूल्यांकन पर उचित न्यायशुल्क 20/–देकर अवधि प्रस्तुत है।

12. यह कि वादग्रस्त स्थल नटराज टॉकीज के पास में रोड भीमगंजमण्डी कोटा–राज., जो वार्ड नं. 27 में आता है, में माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के स्वर्णाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है।

अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय कि डिक्री प्रदान की जावे कि:

(1) कि प्रतिवादी संख्या 1 के जरिए स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह मैं स्टेशन रोड नटराज टॉकीज के पास, भीमगंजमण्डी कोटा–राज0 अपने परिसर ऑल सीजन के बाहर पुनः रैम्प सीढियां बनाकर नाले पर अतिक्रमण करने, ग्रेनाइट लगाने, सरकारी रोड पर पार्किंग स्थापित करने का अवैधानिक कृत्य नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे रोड पर अतिक्रमण हो अथवा रोड को सकरा करने का प्रयास भी नहीं करे। उक्तकृत्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(2) कि प्रतिवादी 1 को जरिए आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह मैं स्टेशन रोड नटराज टॉकीज के पास, भीमगंजमण्डी कोटा–राज0 अपने परिसर ऑल सीजन के बाहर पुनः रैम्प सीढियां बनाकर नाले पर अतिक्रमण करने, ग्रेनाइट लगाने, सरकारी रोड पर पार्किंग स्थापित करने का अवैधानिक कृत्य नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे रोड पर अतिक्रमण हो अथवा रोड को सकरा करे यदि ऐसा किया जाता है तो उसे ध्वस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गए बायलाज नियमों के विरूद्ध किये गए सम्पूर्ण निर्माण/बिल्डिंग को ध्वस्त का हटाया जावे इस हेतु प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

(3) कि वाद का समस्त व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(4) कि अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।"

2. Learned counsel for the respondent No.2 further submits that in para 17 of the writ petition, it has been stated by the petitioner that since the proceedings in the suit were moving at the snail's pace without making any concrete progress and headway due to the collusion of respondents No.1 & 2 therefore, the petitioner withdrew the civil suit. It is also submitted that the suit was withdrawn by the petitioner on 17.11.2025 without seeking any liberty to avail any other remedy under law.

3. In view of the aforesaid facts, learned counsel for the respondent No.2 submits that the present writ petition is not maintainable and is liable to be dismissed on this ground.

4. Learned counsel for the petitioner submits that respondent No.2 is an influential person and on account of his collusion with Nagar Nigam, Kota, the suit could not be pursued by the petitioner in proper manner and although it was instituted on 03.01.2023 and was not decided even up to 17.11.2025 within a span of more than one year and ten months, therefore, looking to the pace and progress of the suit, it was withdrawn and such withdrawal would not curtail rights of the petitioner to invoke extra-ordinary jurisdiction of this Court under Article 226 of the Constitution of India, moreover, for seeking protection of fundamental rights of the petitioner against exploitation in the hands of Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kota.

5. Heard learned counsels for both the parties and perused the record.

6. Prayer made by the petitioner in the civil suit as well as prayer made in the instant writ petition are almost similar and nothing has changed except use of different words. This Court also finds that while withdrawing the civil suit on 17.11.2025, no liberty whatsoever was either sought by the petitioner, nor was granted by the Civil Court.

7. Under these circumstances, filing of the instant writ petition for almost identical relief is nothing but abuse of process of law, therefore, the present writ petition is not maintainable and the same is hereby dismissed.

8. Pending applications(s), if any, shall also stand(s) disposed of.

(ANAND SHARMA),J

26/DAKSH